RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : बुधवार 13 अगस्त 2025 | वर्ष 07 | अंक 115 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक **रोकठोक लेखनी** ®

खबरें बे-रोकटोक

मुंबई में कबूतरखाने बंदी का आदेश बरकरार...

Page - 2

मुंबई हवाई अड्डे पर दो यात्री चरस के साथ गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई सीमा शुल्क विभाग ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अलग-अलग मामलों में 5.2 करोड़ रुपये की चरस ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, एक अन्य यात्री को वन्यजीव प्रजातियों की तस्करी की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि ये घटनाएं 9 से 11 अगस्त के बीच हुईं। अधिकारियों ने 8 अगस्त को 2.87 करोड़ रुपये मूल्य की 2.873 किलोग्राम चरस के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया। जब्त की गई चरस चेक-इन ट्रॉली बैग में छिपी हुई थी। 10 अगस्त को, एक यात्री को 2.33 करोड़ रुपये मूल्य की 2.339 किलोग्राम चरस ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोमवार को एक अन्य यात्री को वन्यजीव प्रजातियों के साथ पकड़ा गया, जिसमें ल्यूसिस्टिक शुगर ग्लाइडर, फायर-टेल्ड सनबर्ड, पर्पल-थ्रोटेड सनबर्ड, क्रेस्टेड फिंचबिल, हनी बियर और अन्य शामिल थे।

स्कूल बसों को लेकर फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में स्कूल वैन को लेकर प्रदेश की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यहां आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं के साथ स्कूल वैन परमिट फिर से शुरू होंगे. छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने स्कूल बसों के लिए अनुमति दे दी है और इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी. मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, ''कल से हम उन लोगों को अनुमतियां देंगे जो स्कूल बस परमिट के लिए आवेदन करेंगे. ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने अनगिनत छात्रों को खतरे में डाला हुआ था.''

'ठूंस-ठूंसकर भरे जाते थे बच्चे'

उन्होंने कहा, ''सालों से, राज्यभर में छात्रों को असुरक्षित और अवैध तरीकों से स्कूल ले जाया जा रहा था, जिसमें उन्हें भीड़भाड़ वाले रिक्शों या गैर-अधिकृत वाहनों में ठूंस-ठूंसकर बिठाया जाता था, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती थी.''

'सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का नया अध्याय'

मंत्री ने कहा कि यह नीति एक अहम कदम है जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब छोटे छात्रों की जान असुरक्षित परिवहन साधनों के कारण खतरे में न पड़े, और यह शिक्षा व सुरक्षा के प्रति महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता का नया अध्याय साबित होगा.

महाराष्ट्र : स्कूल के टॉयलेट में 9 साल के बच्चे ने लड़की के साथ की 'गंदी हरकत', बाल सुधार गृह भेजा गया

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में नौ वर्ष की लड़के ने अपनी कक्षा में पढ़ने वाली एक अन्य छात्रा की मदद से अपने स्कूल के शौचालय में अपनी नाबालिग सहपाठी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़के और अपराध में कथित रूप से सहयोग करने वाली उसी के साथ की लड़की को हिरासत में लेकर किशोर सुधार गृह भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला पीड़िता और दोनों आरोपी बाबुलगांव शहर के जिला परिषद स्कूल में दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं जहां पर एक अगस्त को कथित घटना हुई थी.

पीड़िता के गुप्तांगों पर चोट के निशान मिले

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले पीड़िता ने अपने गुप्तांगों में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसकी मां उसे अस्पताल ले गई. इसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने पीड़िता के गुप्तांगों पर चोट के निशान देखे. एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई. पुलिस शिकायत के अनुसार, उसकी बेटी ने बताया कि उसकी कक्षा में एक लड़के ने एक अन्य लड़की की मदद से स्कूल के शौचालय में उसका यौन उत्पीड़न किया. इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने नौ अगस्त को लड़के एवं लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बाद में भारतीय न्याय संहिता एवं यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने POCSO के तहत मामला दर्ज

इसके साथ ही यवतमाल के पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने कहा कि पुलिस को बाबुलगांव में लड़के ने आठ साल लड़की का यौन उत्पीड़न किए जाने की शिकायत मिली है. उन्होंने आगे बताया कि एक अन्य लड़की ने अपराध में लड़के की मदद की. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी बच्चों को सुधार गृह भेज दिया गया है.

महाराष्ट्रः पुणे में जुआ खेलते BJP पदाधिकारी समेत सात गिरफ्तार

पुणे : पुणे में कथित तौर पर जुआ खेलने के आरोप में एक स्थानीय भाजपा पदाधिकारी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई सोमवार को की। इसके बाद, भाजपा नगर इकाई प्रमुख धीरज घाटे ने कहा कि उन्होंने पदाधिकारी को निष्कासित कर दिया है, जिसकी पहचान औदुंबर कांबले के रूप में हुई है, जो पुणे में पार्टी की पार्वती इकाई से जुड़े थे। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने सोमवार दोपहर धनकवाड़ी इलाके में एक कमरे में छापा मारा और कुछ लोगों को ताश और जुआ खेलते हुए पाया, जिसके बाद उनके पास से 2.20 लाख रुपये की नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस ने औदुंबर कांबले, रोहन लोंढे, बापू पटोले, सागर अडागले, युवराज सूर्यवंशी, मंगेश शेलार और संग्राम भोसले को गिरफ्तार किया। उन्हें बीएनएसएस की

धारा 35 (3) के तहत नोटिस जारी कर रिहा कर दिया गया।

महाराष्ट्रः नाले में बहा रहे थे जानलेवा केमिकल...

पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा; 5 के खिलाफ केस दर्ज

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने खतरनाक केमिकल से लदे हुए 2 टैंकर जब्त किए हैं। इसी के साथ केमिकल कंपनी के निदेशक समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन टैंकरों में जानलेवा रसायन का कचरा मौजूद था, जिसे एक नाले में बहाने की प्लानिंग थी। मुंबई पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सैलेश साल्वी के अनुसार, रविवार की सुबह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी भिवंडी में एक केमिकल कंपनी के पास 2 टैंकर खड़े मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।

टैंकर में क्या था?

पुलिस के अनुसार, दोनों टैंकरों में कैल्शियम हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन (जिसका इस्तेमाल ब्लीच में किया जाता है) मिला। इसका कुल वजन 17,720 किलोग्राम था। टैंकरों में भरा मलबा पालघर के वाडा में स्थित केमिकल कंपनी का था।

कितना हो सकता है खतरनाक?

पुलिस का कहना है कि टैंकर के ड्राइवर और कर्मचारी ने पहले ही 2,000 किलो केमिकल वेस्ट नाले में डाल दिया था, जिससे पानी प्रदूषित हो गया। यह केमिकल वेस्ट स्थानीय निवासियों के लिए कई तरह की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। कंपनी के मलबे को नाले में बहाना न सिर्फ पर्यावरण कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी खतरा है। पुलिस ने केमिकल कंपनी के निदेशक, दोनों ड्राइवर और कर्मचारी समेत 5 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर लिया है।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

इन दो महीनों के लिए...

बरसात के ये महीने कैसे गुजारें, दरकते लम्हों से खुद को कैसे निकालें। खबरों की खबर यह है कि हिमाचल के हर रास्ते पर कहर है और विकास की हर मेहनत पर सुराख है। आपदा के नुकसान को चेहरे पर ओढ़े ये दो-ढाई महीने, अपने कठघरों में सजा देते हैं। यहां फेल क्या हो रहा है और उस विकास का क्या हो रहा जो हर सत्ता को मिशन रिपीट के चश्मे से देखता है। सूचियों में दो महीनों ने कई सरकारी आश्रय कंगाल कर दिए। असुरक्षित भवनों की श्रृंखला में कितने स्कूल, पंचायत घर और इमारतों के कबूतरखाने दिखाई दे रहे हैं। क्या आपदा के इन महीनों से सीखकर नीतियां अपने कान पकड़ेंगी। क्या नसीहतों में यह प्रदेश पर्यावरण सुरक्षा का मुजरिम बनता रहेगा या आने वाले खतरों के संदेश हमारी कसौटियां बदल देंगे। पहाड़ में साल के समय का व्यय हम कैसे करते हैं, यह सोचना पड़ेगा। विकास के लिए कितने महीने मिलते हैं और विकराल मौसम के कितने दिन कारावास में गुजरते हैं। ऐसे में क्या सरकारी मशीनरी को एक जैसी सुविधा साल भर मिल सकती है। हमने प्रदेश के कई बंटवारे कर लिए और इनमें सबसे ऊपर है सियासी आबंटन। यही सियासी आबंटन बजट और योजनाओं के करिश्मे में अपनी मिट्टी-अपनी जमीन खोजता रहता है।

नई शब्दावली की ईदगाहें बनाई जाती हैं और नई रोशनी में विकास के दीप जलाए जाते हैं। जलशक्ति विभाग के उच्चतम मानदंड भी देखें तो जिस प्रदेश में पानी खूब बरस रहा है, वहां राजधानी समेत कई शहर प्यासे हैं। यह इसलिए क्योंकि जलशक्ति ने अपने कार्य को बारह महीनों में एक जैसा देखा, जबकि दो-ढाई महीनों की रंजिश में विकास के हर पैमाने को बदलना होगा। होना तो यह चाहिए कि हमारी योजनाओं का मंथन बरसात की फकीरी के साथ हो। हमारे कमोबेश सारे विभाग बरसात के पीछे छिप कर अपनी नालायकी छुपा लेते हैं। हम वर्षों से स्कूलों में यह तय नहीं कर पा रहे कि वहां ठंड का प्रकोप ज्यादा है या बरसात का कहर खतरनाक है। स्कूल शिक्षा विभाग की असमर्थता में मौसम भी शरमा जाए, लेकिन एक ही प्रदेश की कसरतें, शिक्षा के पीरियड को मौसम से नहीं बचा पा रही है। पीडब्ल्यूडी महकमा सडक को बरसात से अगर नहीं बचा सकता तो हमारे विकास को केवल साल के नुकसान में पढ़ लेना चाहिए। हर साल कितना विकास जाया होता है, तो इसे बचाने को नई निगाह चाहिए। हम नुकसान का एक बड़ा आंकड़ा तो सामने ले आते हैं, लेकिन कुछ बदलाव भी तो कर सकते हैं। बरसाती महीनों का कहर अगर पर्यावरण की खामियों में ही खोजना है, तो ये बारिश और बादल हिमाचल की देन नहीं। दूसरी ओर विकास अगर हिमाचली सरकारों की देन है, तो विनाश से बचने के लिए हमने क्या किया। अब तो हर साल बरसात के दौरान बचाव कार्यों की रूपरेखा में ऐसे इंतजाम और अधोसंरचना का भी सोचना होगा, जो पूरे प्रदेश में उपलब्ध हो।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE
SHARE
COMMENT
SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई में कबूतरखाने बंदी का आदेश बरकरार...

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से कर दिया इनकार

मुंबई : कबूतरखानों पर लगी बंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए पल्लवी पाटील समेत अन्य याचिकाकताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि जब मामले की सुनवाई पहले से ही हाईकोर्ट में चल रही है, तब सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। कोर्ट ने अपीलकताओं को सलाह दी कि वे आदेश में बदलाव के लिए हाईकोर्ट का रुख करें। इस बीच, मामले की अगली सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में 13 अगस्त को होगी।

बंदी के आदेश बरकरार रहने के कारण मुंबई पुलिस और नगर निगम ने उन स्थानों पर कार्रवाई जारी रखी है जहां लोग आदेश का उल्लंघन कर कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। याचिकाकताओं का कहना है कि हाईकोर्ट ने बिना पूरी दलील सुने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश जारी किया, जिससे कबूतरों की जान खतरे में है। उन्होंने दलील दी कि मुंबई में पिछले एक दशक से कबूतरों को दाना डालने के लिए 51 निर्धारित स्थान हैं, जिन्हें अचानक बंद करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

अपील में कहा गया कि ऋग्वेद और मनुस्मृति में कबूतरों को शांति का प्रतीक बताया गया है, और हिंदू, जैन व इस्लाम धर्म में उनके संरक्षण का महत्व बताया गया है। अपीलकताओं ने यह भी तर्क दिया कि कबूतरों की बीट और पंख से स्वास्थ्य को नुकसान का सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जबकि शहर में प्रदूषण के अन्य प्रमुख कारण वाहन, निर्माण कार्य, उद्योग और होटल हैं। उनके मुताबिक, इन्हीं कारणों से दमा जैसी बीमारियां फैल रही हैं।

मुंबई हाईकोर्ट ने इससे पहले नागरिकों के स्वास्थ्य हित को देखते हुए सभी कबूतरखाने तत्काल बंद करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने 3 जुलाई को विधान परिषद में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद बीएमसी ने बंदी लागू कर दी। बंदी हटाने की मांग हाईकोर्ट ने दो बार खारिज की और यह आदेश भी दिया कि जो लोग बंद कबूतरखानों पर दाना डालेंगे, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। इसी निर्देश के तहत पुलिस और बीएमसी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं।

मुंबई : वन विभाग वेबसाइट जल्द ही लॉन्च की जाएगी...

मुंबई : जल्द ही एक समर्पित वेबसाइट होगी जिसमें मैंग्रोव के विनाश, कटाई या प्रभावित होने वाली परियोजनाओं से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में वन प्रभाग, मैंग्रोव प्रकोष्ठ को उक्त वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और वेबसाइट जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी।

यह निर्देश कांदिवली में पोइसर नदी पर बीएमसी द्वारा निष्पादित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजना की सुनवाई के दौरान दिए गए। यह नदी वन भूमि से होकर गुजरती है और जिसके किनारे 100 मैंग्रोव लगाए जाएँगे। बीईएजी के एक सदस्य ने कहा, ''वेबसाइट पर अधिक विवरण 13 अगस्त को ठाणे-भिवंडी मेट्रो परियोजना से प्रभावित मैंग्रोव प्रत्यारोपण पर सुनवाई के दौरान उपलब्ध होने की उम्मीद है। बॉम्बे पर्यावरण कार्य समूह (बीईएजी) को अपनी साइट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।''

नवी मुंबई : खुले नालों में अवैध रूप से रसायन छोड़ने के आरोप में दो टैंकर जब्त!

नवी मुंबई : अधिकारियों ने दीघा क्षेत्र में खुले नालों में अवैध रूप से रसायन छोड़ने के आरोप में दो टैंकरों को जब्त कर लिया। दीघा ऐरोली क्षेत्र और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की नागरिक शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, नवी मुंबई नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुलिस की सहायता से मंगलवार तड़के लगभग 1:30 बजे कार्रवाई की। एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, रसायनों के निर्माण या उपयोग करने वाले कारखानों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर, इन पदार्थों को खाड़ी की ओर जाने वाले नालों में छोड़ने से पहले उनका उपचार किया जाना चाहिए। फिर भी, इस प्रक्रिया को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक तेज गंध फैलती है जो आसपास के निवासियों को परेशान करती है।

मुंबई : रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार लंदन में एक नीलामी में हासिल की...

मुंबई : एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक और एक प्रसिद्ध मराठा सेनापति रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार लंदन में एक नीलामी में हासिल कर ली है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने सोमवार को तलवार को औपचारिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया। यह पहली बार है जब राज्य ने नीलामी के माध्यम से विदेश से कोई ऐतिहासिक कलाकृति हासिल की है। यह बेशकीमती हथियार सोमवार, 18 अगस्त को सुबह 10 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचेगा, जहाँ इसका औपचारिक सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा।

ठाणे: ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश...

ठाणे: ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने चार साल पहले एक ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ट्रक चालक के पास दुर्घटना से बचने का ''आखिरी मौका'' था। लेकिन ट्रक के पिछले पहिये ''मृतक की कमर और जांघ पर चढ़ गए,'' न्यायाधिकरण ने कहा। एमएसीटी सदस्य आर वी मोहिते ने सोमवार को पारित आदेश में कहा, ''यह चालक की लापरवाही और लापरवाही के साथ-साथ दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तेज गति को भी दशार्ता है।''पीड़ित, हनीफ शाहिद कुरैशी, जो उस समय 33 वर्ष के थे, 21 मार्च, 2021 को अपनी मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र

के ठाणे जिले के भिवंडी में एक सामान पहुँचाने जा रहे थे।

मुंबई-नासिक राजमार्ग पर कलवा इलाके के खारेगांव में एक ट्रक ने उनके दोपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। कुरैशी को गंभीर चोटें आईं और अगले दिन कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी ने उनकी मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करते हुए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।ट्रक का मालिक एकपक्षीय रहा।न्यायाधिकरण ने ट्रक बीमाकर्ता के मृतक द्वारा सहभागी लापरवाही के दावे को खारिज कर दिया।न्यायाधिकरण ने कहा, ''पुलिस को मृतक की ओर से कोई लापरवाही नहीं मिली,'' और यह भी कहा कि दुर्घटना के समय पीड़ित के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने पाया कि घटना के समय ट्रक चालक के पास लाइसेंस नहीं था।न्यायाधिकरण ने कहा, ''इस प्रकार, ट्रक के विरोधी मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है।''न्यायाधिकरण ने पीड़ित की अनुमानित मासिक आय 12,000 रुपये आंकी और याचिका की तारीख से राशि जमा होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 23,75,400 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। एमएसीटी के आदेश में कहा गया है कि बीमाकर्ता को पहले मुआवजे की राशि का भुगतान करना होगा और फिर उसे वाहन मालिक से वसूलना होगा।कुल राशि में से 11,75,400 रुपये पीड़ित की पत्नी को, 9 लाख रुपये उसकी बेटी को और 3 लाख रुपये उसके पिता को दिए जाने हैं।आदेश के अनुसार, विधवा और नाबालिग बेटी के लिए मुआवजे

नवी मुंबई : सुश्रुषा अस्पताल में बेसमेंट में आग, 4 मरीज आईसीयू में थे भर्ती...

नवी मुंबई : नेरुल स्थित सुश्रुषा अस्पताल में बेसमेंट में आग लग गई जिसमें कई मरीज चपेट में आ गए. सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने काम शुरू किया. सभी मरीजों को अस्पताल से निकालने का काम बहुत ही तेज गति से किया गया. जब आग लगी तो करीब 21 मरीज अस्पताल में थे. 20 मरीजों को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया गया. जबकि 1 मरीज को वाशी के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. आग के समय 4 मरीज ICU में भर्ती थे. सभी लोगों को ऑक्सीजन एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया गया. आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों की मदद ली गई और करीब एक घंटे का समय लगा जब आग पर काबू पा लिया गया.

मुंबई : ताड़देव इलाके में निजी बंगले से 10.5 लाख रुपये के गहने चोरी

मुंबई : पॉश ताड़देव इलाके से चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक निजी बंगले से 10.5 लाख रुपये के गहने चोरी हो गए। इस घटना से आस-पड़ोस में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब परिवार के केयरटेकर की ओर ध्यान दे रही है, जो चल रही जाँच में मुख्य संदिग्ध है।जयवंत इंडस्ट्रीज के पास स्थित एक बंगले में रहने वाली 40 वर्षीय देविका पंचाल ने शिकायत दर्ज कराई है।

पंचाल अपने परिवार और अपने बीमार 70 वर्षीय पिता के साथ रहती हैं, जो लकवाग्रस्त हैं और उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, परिवार ने एक युवा पुरुष केयरटेकर को नियुक्त किया था, जिसका काम दिन भर बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करना और हर रात 11 बजे तक चले जाना था।

नाबालिग का यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार

विरार : अंधविश्वास की आड़ में मासूमों के शोषण का एक शर्मनाक मामला विरार से सामने आया है। एक 21 वर्षीय नेत्रहीन युवक ने कथित तौर पर 'भूत प्रेत' निकालने के बहाने एक 17 वर्षीय किशोरी का यौन शोषण किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जुलाई महीने की है। पीड़िता विरार के एक स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। परिवार का दावा है कि वह पिछले चार वर्षों से 'भूत बाधा' से पीड़ित है। इसी बीच उसकी एक सहेली ने उसे एक कथित तांत्रिक युवक से मिलवाया, जो अंधा है और खुद को 'विशेष शक्तियों' वाला बताता है। आरोपी युवक ने पीड़िता को विश्वास दिलाया कि उसके शरीर में चार राक्षस हैं जो उसके भविष्य के पति को मार सकते हैं और वह मां नहीं बन पाएगी। इन 'बुरी आत्माओं को निकालने के लिए एक विशेष 'विधि' करनी होगी जिसमें ११ बार संभोग करना आवश्यक होगा। यह सब एक विधिपूर्वक अनुष्ठान का हिस्सा बताया गया।

पालघर में वार्ड समन्वय अधिकारी 10 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

ठाणे : पालघर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन के अंतर्गत उमेद अभियान योजना में कार्यरत वार्ड समन्वय अधिकारी रेणुका रणवीर आत्राम (30) को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता महिला इसी योजना में सामुदायिक संस्था व्यक्ति के रूप में कार्यरत थी और उसका मानदेय उमेद कार्यालय, वाडा से जारी होता था। आरोप है कि आरोपी पहले भी मानदेय जारी करने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत ले चुकी थी। 1 अगस्त 2025 को रेणुका आत्राम ने शिकायतकर्ता 1 को 19,800 रुपये का चेक देते समय आधी राशि वापस देने की मांग की। रिश्वत देने से इनकार करने पर 4 अगस्त को शिकायत एसीबी पालघर में दर्ज कराई गई। सत्यापन के बाद 11 अगस्त को जाल बिछाया गया और आरोपी को पंचों के सामने 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ वाडा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

मुंबई : हार्बर लाइन पर हादसा... युवक की मौत!

मुंबई : सरकार द्वारा मुंबई लोकल ट्रेनों में होने वाले हादसों के प्रयासों के बीच एक और दुख भरी खबर सामने आई है। कुर्ला वाला हादसा अभी ताजा ही था कि हार्बर लाइन पर भी एक हादसा हो गया। जिसमें एक युवक की मौत की खबर सामने आई। कुर्ला के जैसी हार्बर लाइन पर भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वडाला से पनवेल जा रही एक लोकल ट्रेन की छत पर चढ़ने के कारण एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। घायल युवक की पहचान अंकुर पांडे (लगभग 25 वर्ष) के रूप में हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार रेलवे पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह घटना मानखुर्द स्टेशन के पास हुई, जहां युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा था। जब ट्रेन वाशी स्टेशन पहुंची, तो यात्रियों के शोर-शराबे के बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली। युवक बुरी तरी झुलस गया था युवक बुरी तरह से जला हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत वाशी के मनपा अस्पताल में भर्ती कराया। आगे के इलाज के लिए उसे मुंबई के जे.जे. अस्पताल भेजा गया है। वाशी रेलवे पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है।

कुर्ला में ट्रेन से गिरने से युवक की हुई थी मौत

कुछ दिन पहले, मुंबई में कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक और दुखद दुर्घटना हुई थी, जहाँ एक युवक की लोकल ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई थी। वह ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। इस घटना की खबर मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और युवक के इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है।दस साल में मुंबई लोकल ट्रेन हादसों में 25 हजार से अधिक लोगों की मौत हाल ही में आरटीआई कार्यकर्ता गॉडफ्रे पिमेंटा द्वारा प्राप्त जानकारी ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। पिछले दस वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं में कुल 26,547 लोगों की मौत हुई है। ये मौते केवल चलती ट्रेन से गिरने के मामले ही नहीं, बल्कि असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग और अचानक भगदड़ भी कई मौतों का कारण बनी हैं।

मुंबई : 1 साल 9 महीने की उम्र में रचा इतिहास; जानवर पहचानने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

मुंबई : हर व्यक्ति में कोई न कोई खास कला या खूबी जरूर होती है. आज के समय में लोग अपनी इन विशेषताओं के दम पर नए-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. आपने कभी न कभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, जो रिकॉर्ड बनाने वालों के लिए जाना जाता है?

इस संस्था का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया है. खास बात यह है कि यहां बनने वाले रिकॉर्ड अक्सर बड़े ही अनोखे और अजब-गजब होते हैं. हाल ही में इसी संस्था के माध्यम से मुंबई की एक छोटी बच्ची ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है. इस बच्ची की उम्र मात्र 2 वर्ष है. इस छोटी बच्ची

का नाम कृद्धा सिन्हा है. कृद्धा ने तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जब उसकी उम्र सिर्फ 1 साल 9 महीने थी.

7 महीने की उम्र में फल और जानवरों के नाम याद किए

प्रीथा सिन्हा ने बताया कि जब कृद्धा सिर्फ 2 महीने की थी, तभी से उन्होंने उसे सीखने और याद करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी. उनका मानना है कि बच्चे जिस चीज में रुचि लेते हैं, उस क्षेत्र में जल्दी और गहराई से सीखते हैं. कृद्धा ने 7 महीने की उम्र में ही फलों के नाम, गाड़ियों के नाम और अन्य कई चीजों के नाम बोलना शुरू कर दिया था. इस छोटी बच्ची का नाम एक और किताब में दर्ज है, जिसका नाम है जीनियस किड रिकॉर्ड. प्रीथा का यह भी कहना है कि हर माता-पिता को अपने बच्चों की पसंद और रुचि को समझना चाहिए, ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बड़ा कर सकें शायद अगला रिकॉर्ड भी.

मुंबई : तेजी से चल रहा है बेलासिस फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण

मुंबई : ताड़देव-नागपाड़ा को मुंबई सेंट्रल स्टेशन से जोड़ने वाले ऐतिहासिक बेलासिस फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण तेजी से चल रहा है. बीएमसी ने सोमवार को बताया कि इस परियोजना को अप्रैल 2026 की बजाय, निर्धारित समय से पहले, 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है. मुंबई नगर निगम ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि रेलवे सीमा के भीतर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पश्चिम रेलवे द्वारा किया जा रहा है, जबकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पहुँच मार्ग का निर्माण कर रहा है. पहले चरण में, रेलवे ठेकेदार ने प्रमुख गर्डर लॉन्चिंग ऑपरेशन के तहत 36 मीटर लंबे 12 गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए हैं. अगले चरणों में गर्डर ब्रेसिंग, डेक शीट स्थापना और स्लैब कास्टिंग शामिल हैं, जिन्हें 14 सितंबर, 2025 तक पूरा करने की योजना है. इन कार्यों को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए लगभग 40 ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लगाए जाएँगे. 130 साल पुराने ब्रिटिशकालीन ढांचे को ध्वस्त करने के बाद इस पुल का पुनर्निर्माण

किया जा रहा है.

इससे पहले 24 जून को बीएमसी मुख्यालय में एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) अनिल कुंभारे, बीएमसी और रेलवे के इंजीनियर उत्तम श्रोते, राजेश मुले, रोहित मेहला और वी. वी. सतीशन भी मौजूद थे. बयान में आगे कहा गया है कि बीएमसी प्रमुख भूषण गगरानी के नेतृत्व में, मुंबई में यातायात को सुगम बनाने और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं.

अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने बताया कि दिसंबर 2025 तक काम पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फ्लाईओवर को अपेक्षा से पहले यातायात के लिए खोला जा सके. अब तक, मिट्टी परीक्षण, नींव का काम और स्तंभ निर्माण का काम पूरा हो चुका है. अवरोधक संरचनाओं को हटा दिया गया है, और पूर्वी हिस्से में, 40 में से 4 अप्रोच गर्डर पहले ही लगा दिए गए हैं. बीएमसी और एमडीए ने दीर्घकालिक परिवहन सुधार योजना के तहत मुंबई सेंट्रल के पास एक केबल-स्टेड ब्रिज के निर्माण के लिए महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम (महारेल) के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं. बांगर ने पुष्टि की कि पश्चिमी पहुँच मार्ग पर शेष बचे अंतिम स्तंभों का काम जल्द ही शुरू होगा, और समग्र लक्ष्य दिसंबर 2025 के अंत तक सभी निर्माण कार्य पूरा करना है.

मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बड़ी कार्रवाई, 200 से अधिक संरक्षित वन्यजीव-पक्षी जब्त

मुंबई : ठाणे वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने गैर-सरकारी संगठन वन्यजीव कल्याण संघ की मदद से शुक्रवार को मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में संयुक्त छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए बड़ी संख्या में जंगली जानवरों और पक्षियों को जब्त किया. इस अभियान में एनजीओ की खुफिया जानकारी और मौके पर मिली प्रत्यक्ष सहायता ने अहम भूमिका निभाई. कार्रवाई के दौरान कुल 112 गुलाबी-वलय वाले तोते, जिनमें से 11 मृत पाए गए, 67 भारतीय सितारा कछुए, 16 भारतीय छत वाले कछुए, 10 एलेक्जेंडरिन तोते, 10 भारतीय तम्बू कछुए, 10 भारतीय आँख वाले कछुए और एक

भारतीय सॉफ्टशेल कछुआ जब्त किया गया। सभी मामलों में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह अधिनियम संरक्षित प्रजातियों के व्यापार को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। वन विभाग ने बताया कि जब्त किए गए सभी जानवरों और पक्षियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी आवश्यक चिकित्सा जांच और देखभाल की व्यवस्था की गई है, ताकि वे स्वस्थ रह सकें। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई वन्यजीव तस्करों के लिए एक कड़ी चेतावनी है और भविष्य में भी ऐसे संयुक्त अभियान जारी रहेंगे, ताकि अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, ''संरक्षित प्रजातियों का अवैध व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जब्ती तस्करों को संदेश है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।'' विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जब्त किए गए सभी जीव वर्तमान में वन विभाग की देखरेख में हैं और वन्यजीव संरक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा।

मुंबई : कपिल शर्मा के कैफे पर हमले के बाद मुंबई पुलिस सचेत हो गई है. उन्होंने कॉमेडियन की सुरक्षा बढ़ा दी

मुंबई : कपिल शर्मा के कैफे पर हमले के बाद मुंबई पुलिस सचेत हो गई है. उन्होंने कॉमेडियन की सुरक्षा बढ़ा दी है. कपिल के रेस्तरां में पिछली बार 8 अगस्त को हमला हुआ था, जो एक एक महीने में दूसरा हमला था. पहला हमला 10 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ओशिवारा में मौजूद कपिल के घर पर उनसे बात करने घर गई थी. कॉमेडियन के कैफे की शुरूआत 4 जुलाई को हुई थी. एक्टर सलमान खान से संबंधों के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा को धमकी दी है. कॉमेडियन के रेस्तरां पर हमले का वीडियो सुर्खियों में रहा, जिसमें कम से कम 25 बार फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है. साथ ही, एक

मैसेज भी है, 'हमने टारगेट को कॉल किया था, लेकिन उसने रिंग नहीं सुनी, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी. अगर उसने अब भी रिंग नहीं सुनी, तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में की जाएगी.' दो गैंग (गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई) ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली है.

कपिल शर्मा के कैफे पर दो बार हमला

कैफे पर हमले की पहली घटना 10 जुलाई को जब हुई थी, तब कुछ स्टाफ मैंबर अंदर ही थे. किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन एक खिड़की में कम से कम 10 गोलियों के निशान पाए गए, जबकि एक दूसरा शीशा टूट गया. 8 अगस्त की शूटिंग के एक दिन बाद बिश्नोई गैंग के एक कथित मैंबर (हैरी बॉक्सर) ने सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को टारगेट करते हुए एक ऑडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें कहा गया है, 'सलमान खान के साथ काम करने वाले छोटे-मोटे निमार्ता, निर्देशक या अभिनेता को नहीं बख्शा जाएगा.' यह भी कहा गया कि गैंग 'किसी भी हद तक' जा सकता है.

मुंबई : एनडीपीएस अदालत ने दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित चार व्यक्तियों को बरी कर दिया

मुंबई : एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत ने दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित चार व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिन्हें 2020 में शहर में 502 ग्राम कोकीन की तस्करी करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा है। यह घटना नवंबर 2020 की है, जब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के अनुसार, चार व्यक्तियों,

सोनिया रफीक खान, एजीके ऑफोर, केनेचुकु नेल्सन उतेह और हेजल डोनाल्ड कोरिया को खारघर में 'एड्रिया टेलीज' नामक व्यक्ति को संबोधित एक फेडेक्स पार्सल में त्रिनिदाद, एक कैरिबियाई द्वीप से भारत में कोकीन की तस्करी करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश पीपी जाधव ने शुक्रवार को उन चार व्यक्तियों की रिहाई का आदेश दिया, जो 18 नवंबर, 2020 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में थे यह देखते हुए कि जब्ती के दौरान कोई भी अभियुक्त एयर कार्गो में मौजूद नहीं था, न्यायाधीश जाधव ने बताया कि जब्ती पंचनामा पर जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ''इसके अलावा, फेडेक्स कूरियर सर्विसेज के किसी भी व्यक्ति से अभियोजन पक्ष ने गवाह के तौर पर पूछताछ नहीं की है।

बीकेसी में 13 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक को ध्वस्त करना शुरू

वाहनों के आवागमन के लिए एक अतिरिक्त लेन में बदलने का निर्णय...

मुंबई : महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में 13 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है ताकि मोटर वाहनों के लिए एक अतिरिक्त लेन बनाई जा सके और प्रमुख व्यावसायिक जिले, खासकर जी-ब्लॉक में यातायात की भीड़भाड़ को कम किया जा सके। इस ट्रैक को वाहनों के आवागमन के लिए एक अतिरिक्त लेन में बदलने का निर्णय जुलाई में एमएमआरडीए, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), मेट्रो रेल, यातायात पुलिस, निजी और सार्वजनिक बस संचालकों, कार्यालय परिसरों के प्रतिनिधियों और पेट्रोल पंप मालिकों के बीच एक बैठक के दौरान लिया गया था। बीकेसी के एक हितधारक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ''यह बैठक मुंबई यातायात पुलिस द्वारा जी-ब्लॉक में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।''

दुखद सड़क दुर्घटना... स‘ाद्री स्टेट गेस्ट हाउस के पास महिला पैदल यात्री की मौत!

मुंबई : स‘ाद्री स्टेट गेस्ट हाउस के पास मंगलवार सुबह एक दुखद सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक महिला पैदल यात्री की मौत हो गई। दुर्घटना के बारे में एक बेस्ट इलेक्ट्रिक बस सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार आगे की ओर धंस गई, जिससे उस समय वहाँ से गुजर रही एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला, जिसकी पहचान पुलिस द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, के बारे में माना जा रहा है कि दुर्घटना के समय वह अपनी नियमित सुबह की सैर पर निकली थी।

संपर्क कार्यालय : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com